C O N T E N T S

Fifteenth Series, Vol. XIX, Eighth Session, 2011/1933 (Saka)
No. 21, Tuesday, August 30, 2011/Bhadra 8, 1933 (Saka)

S U B J E C T	P A G E S
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
*Starred Question Nos. 381 to 400	3-86
Unstarred Question Nos. 4371 to 4600	87-562

* Due to continues interruption in the House, starred questions could not be taken up for oral answers. Therefore, these starred questions were treated as unstarred questions.

PAPERS LAID ON THE TABLE	564-569
MESSAGE FROM RAJYA SABHA	570
COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS	
21st Report	571
RAILWAY CONVENTION COMMITTEE	
2nd Report	571
JOINT COMMITTEE ON OFFICE OF PROFIT	
2nd to 4th Reports	571
COMMITTEE ON GOVERNMENT ASSURANCES	
15th to 18th Reports	571
COMMITTEE ON AGRICULTURE	
26th Report	572
STANDING COMMITTEE ON ENERGY	
20th Report	572
STANDING COMMITTEE ON FINANCE	
39th and 40th Reports	572
STANDING COMMITTEE ON LABOUR	
18th to 20th Reports	573
STANDING COMMITTEE ON RAILWAYS	
12th Report	573
STANDING COMMITTEE ON WATER RESOURCES	
9th and 10th Reports	573
STANDING COMMITTEE ON PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES, LAW AND JUSTICE	
47th Report	574

STATEMENTS BY MINISTER

(i) Status of implementation of the recommendations contained in the 26th Report of the Standing Committee on Finance on Demands for Grants (2010-11), pertaining to the Department of Economic Affairs, Financial Services, Expenditure and Disinvestment, Ministry of Finance

Shri Namo Narain Meena 575-576

(ii) Status of implementation of the recommendations contained in the 8th and 19th Reports of the Standing Committee on Agriculture on Demands for Grants (2010-11), pertaining to the Department of Agricultural Research and Education, Ministry of Agriculture

Shri Harish Rawat 577

(iii) Status of implementation of the recommendations contained in the 6th and 8th Reports of the Standing Committee on Food, Consumer Affairs and Public Distribution, pertaining to the Department of Food and Public Distribution, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution

Prof. K.V. Thomas 578-579

MATTERS UNDER RULE 377 580-594

(i) Need to enhance the pension of workers engaged in Cotton mills and Beedi industry in Tamil Nadu

Shri S.S. Ramasubbu 580-581

(ii) Need to make easy availability of Government medical facilities to the poor and formulate rules to control exorbitant medical bills of private hospitals in the country

Shri Datta Meghe 582

(iii) Need to restore the previous syllabus of Teachers' Education in Uttar Pradesh

Rajkumari Ratna Singh 583

(iv) Need to take measures to stop influx of fake drugs into India

Shri Anto Antony 584

(v) Need to provide facility of interest refund to students who availed bank loan to study abroad

Shri Charles Dias 585

(vi) Need to supply adequate quantity of natural gas to industrial units in Agra, Uttar Pradesh

Prof. Ram Shankar 586

(vii) Need to sanction the proposal of Maharashtra Governemnt for repair, renovation and restoration of Water Bodies in the State

Shri Haribhau Jawale 587

(viii) Need to provide a goods yard at Modasa Railway Station in Sabarkantha Parliamentary Constituency, Gujarat

Shri Mahendrasinh P. Chauhan 588

(ix) Need to increase the Minimum Support Price of paddy and wheat

Shri Neeraj Shekhar 589

(x) Need for timely running of Vaishali Express

Shri Ramashankar Rajbhar 590

(xi) Need to run Rajrani Express between Patna and Saharsa in Bihar

Shri Vishwa Mohan Kumar 591

(xii) Need to allocate more funds for completion of gauge conversion work between Dindigul and Palakkad and Palani and Pollachi

Shri K. Sugumar 592

(xiii) Need to undertake reflief and rehabilitation measures for people affected due to flood in Bijnor Parliamentary Constituency, Uttar Pradesh

Shri Sanjay Singh Chauhan 593

(xiv) Need to provide adequate quantity of water at Indrapuri Barrage for Sone Canal in Bihar as per Ban Sagar Agreement

Shri Jagada Nand Singh 594

ANNEXURE – I

Member-wise Index to Starred Questions 606-610

Member-wise Index to Unstarred Questions 605

ANNEXURE – II

Ministry-wise Index to Starred Questions 611

Ministry-wise Index to Unstarred Questions 612

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shrimati Meira Kumar

THE DEPUTY SPEAKER

Shri Karia Munda

PANEL OF CHAIRMEN

Shri Basu Deb Acharia

Shri P.C. Chacko

Shrimati Sumitra Mahajan

Shri Inder Singh Namdhari

Shri Francisco Cosme Sardinha

Shri Arjun Charan Sethi

Dr. Raghuvansh Prasad Singh

Dr. M. Thambidurai

Dr. Girija Vyas

Shri Satpal Maharaj

SECRETARY GENERAL

Shri T.K. Viswanathan

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Tuesday, August 30, 2011/Bhadra 8, 1933 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[MADAM SPEAKER in the Chair]

… (*Interruptions*)

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद पूर्व): अध्यक्ष महोदया, हमने क्वैश्चन आवर सस्पेंशन का नोटिस दिया है। …(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): हम लोगों ने प्रश्नकाल स्थगन के लिए नोटिस दिया है। यह बहुत गंभीर मामला है। आप दो मिनट हमारी बात सुन लीजिए।…(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Nothing will go on record.

`*(Interruptions)* … *

11.01 hrs.

At this stage, Shrimati Darshana Jardosh and some other Hon. members came and stood on the floor near the Table

अध्यक्ष महोदया : कृपया ये सब पेपर्स नीचे कीजिए। ।

…(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : बैठ जाइए।

…(व्यवधान)

11.02 hrs.

At this stage, Shri Shailendra Kumar and some other Hon. members came and stood on the floor near the Table

MADAM SPEAKER: The House stands adjourned to meet at 1200 hours.

The Lok Sabha then adjourned till Twelve of the Clock.

---

* Not recorded

12.00 hrs.

The Lok Sabha re-assembled at Twelve of the Clock

(Mr. Deputy-Speaker *in the Chair)*

...(व्यवधान)

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद पूर्व): उपाध्यक्ष महोदय, हमने नोटिस दिया है।...(व्यवधान)

श्री राजाराम पाल (अकबरपुर): महोदय, अन्ना जी के आंदोलन में...(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): महोदय, हमने कार्य स्थगन का नोटिस दिया है।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : प्लीज़, आप सब बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : किसी की कोई बात रिकार्ड में नहीं जाएगी। कुमारी सैलजा।

...(व्यवधान) *

---

* Not recorded

12.01 hrs.

PAPERS LAID ON THE TABLE

MADAM SPEAKER: Now Papers to be Laid on the Table of the House.

THE MINISTER OF HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION AND MINISTER OF CULTURE (KUMARI SELJA): Sir, I beg to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Culture Fund, New Delhi, for the year 2008-2009, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Culture Fund, New Delhi, for the year 2008-2009.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

(Placed in Library, See No. LT 5037/15/11)

(3) A copy of the Memorandum of Understanding (Hindi and English versions) between the Hindustan Prefab Limited and the Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation for the year 2011-2012.

(Placed in Library, See No. LT 5038/15/11)

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS (SHRI AJAY MAKEN): Sir, I beg to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Nehru Yuva Kendra Sangathan, Delhi, for the year 2009-2010, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Nehru Yuva Kendra Sangathan, Delhi, for the year 2009-2010.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

(Placed in Library, See No. LT 5039/15/11)

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION (PROF. K.V. THOMAS): Sir, I beg to lay on the Table a copy of the Notification No. G.S.R. 579(E)/Ess.Com./sugarcane (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated the 28th July, 2011, notifying the Factory-wise Fair and Remunerative Price of Sugarcane for the sugar Session 2010-11 issued under sub-section (6) of Section 3 of the Essential Commodities Act, 1955.

(Placed in Library, See No. LT 5040/15/11)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI MULLAPPALLY RAMACHANDRAN): Sir, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 389 of the New Delhi Municipal Council Act, 1994:-

(i) The New Delhi Municipal Council (Classification of Cinema Theatres) Bye-Laws, 2011 published in Notification No. F. No. 4/15/2006/UD/4409 in Delhi Gazette dated the 5th May, 2011.

(ii) The New Delhi Municipal Council (Determination of Annual Rent) Bye-Laws, 2009 published in Notification No. F. No. 4/3/2008-UD/3356 in Delhi Gazette dated the 24th February, 2009.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at item No. (ii) of (1) above.

(Placed in Library, See No. LT 5041/15/11)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE, MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI HARISH RAWAT): Sir, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy of the Statement (Hindi and English versions) explaining reasons for not laying the Annual Report and Audited Accounts of the Andhra Pradesh State Agro Industries Corporation Limited for the year 2009-2010 within the stipulated period of nine months after the close of the accounting year.

(Placed in Library, See No. LT 5042/15/11)

(2) A copy of the Statement (Hindi and English versions) explaining reasons for not laying the Annual Report and Audited Accounts of the Himachal Pradesh State Agro Industries Corporation Limited for the year 2009-2010 within the stipulated period of nine months after the close of the accounting year.

(Placed in Library, See No. LT 5043/15/11)

(3) A copy of the Statement (Hindi and English versions) explaining reasons for not laying the Annual Report and Audited Accounts of the Maharashtra State Agro Industries Corporation Limited for the year 2009-2010 within the stipulated period of nine months after the close of the accounting year.

(Placed in Library, See No. LT 5044/15/11)

(4) A copy of the Statement (Hindi and English versions) explaining reasons for not laying the Annual Report and Audited Accounts of the Madhya Pradesh State Agro Industries Corporation Limited for the years 2008-2009 and 2009-2010 within the stipulated period of nine months after the close of the respective accounting years.

(Placed in Library, See No. LT 5045/15/11)

(5) A copy of the Statement (Hindi and English versions) explaining reasons for not laying the Annual Report and Audited Accounts of the Assam State Agro Industries Corporation Limited for the years 2004-2005 to 2006-2007 within the stipulated period of nine months after the close of the respective accounting years.

(Placed in Library, See No. LT 5046/15/11)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (DR. S. JAGATHRAKSHAKAN): Sir, I beg to lay on the Table a copy of the Memorandum of Understanding (Hindi and English versions) between the Broadcast Engineering Consultants India Limited and the Ministry of Information and Broadcasting for the year 2011-2012.

(Placed in Library, See No. LT 5047/15/11)

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत): उपाध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) नेशनल मीट एंड पॉल्ट्री प्रोसेसिंग बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल मीट एंड पॉल्ट्री प्रोसेसिंग बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(Placed in Library, See No. LT 5048/15/11)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI JITENDRA SINGH): Sir, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy of the Committee of Parliament on Official Language Report (Part 9) (Hindi and English versions) for the year 2011, under sub-section (3) of Section 4 of the Official Languages Act, 1963.

(Placed in Library, See No. LT 5049/15/11)

(2) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the National Human Rights Commission, New Delhi, for the year 2009-2010, together with Audit Report thereon.

(Placed in Library, See No. LT 5050/15/11)

(3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Human Rights Commission, New Delhi, for the year 2008-2009 under sub-section (2) of Section 20 of the Protection of Human Rights Act, 1993.

(ii) A copy of the Memorandum of Action Taken (Hindi and English versions) on the Annual Report of the National Human Rights Commission, New Delhi, for the year 2008-2009.

(Placed in Library, See No. LT 5051/15/11)

(4) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (3) of Section 155 of the Sashastra Seema Bal Act, 2007:-

(i) The Sashastra Seema Bal Group 'B' Combatised (Non-Gazetted) Pioneer Cadre, posts Recruitment Rules, 2011 published in Notification No. G.S.R. 565(E) in Gazette of India dated the 25th July, 2011.

(ii) The Sashastra Seema Bal Combatised, Ministerial and Stenographers (Non-Gazetted) Group 'B' and 'C' Posts Recruitment Rules, 2011 published in Notification No. G.S.R. 441(E) in Gazette of India dated the 8th June, 2011.

(iii) The Sashastra Seema Bal (Printing Press) Service, Group 'C' Posts Recruitment Rules, 2010 published in Notification No. G.S.R. 1033(E) in Gazette of India dated the 31st December, 2010, together with a corrigendum thereto published in Notification No. G.S.R. 201(E) dated 9th March, 2011.

(iv) The Ministry of Home Affairs, Sashastra Seema Bal Combatised Tradesmen Cadre Group 'C' Posts Recruitment Rules, 2011 published in Notification No. G.S.R. 100(E) in Gazette of India dated the 18th February, 2011.

(v) The Sashastra Seema Bal (Combatised) Pioneer Cadre Group 'C' Posts Recruitment Rules, 2011 published in Notification No. G.S.R. 521(E) in Gazette of India dated the 8th July, 2011.

(5) Two statements (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at item Nos. (iii) and (iv) of (4) above.

(Placed in Library, See No. LT 5052/15/11)

(6) A copy of the Border Security Force (Combatised Ministerial Cadre), Group 'A' , Group 'B' and Group 'C' Posts, Recruitment Rules, 2011 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R. 57 in Gazette of India dated the 5th February, 2011 under sub-section (3) of Section 141 of the Border Security Force Act, 1968.

(7) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (6) above.

(Placed in Library, See No. LT 5053/15/11)

(8) A copy of the Indo-Tibetan Border Police Force, Private Secretary, Section Officer and Assistant, Group 'B' posts Recruitment Rules, 2011 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R. 255(E) in Gazette of India dated the 25th March, 2011 under sub-section (3) of Section 156 of the Indo-Tibetan Border Police Act, 1992.

(Placed in Library, See No. LT 5054/15/11)

(9) A copy Central Reserve Police Force Group "C" (General Duty/Technical/Tradesmen) Cadre Recruitment (Amendment) Rules, 2011 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R. 356(E) in Gazette of India dated the 2nd May, 2011 under sub-section (3) of Section 18 of the Central Reserve Police Force Act, 1949.

(Placed in Library, See No. LT 5055/15/11)

12.02 hrs.

MESSAGES FROM RAJYA SABHA

SECRETARY-GENERAL: Madam Speaker, I have to report the following messages received from the Secretary-General of Rajya Sabha:-

(i) "In accordance with the provisions of rule 127 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha at its sitting held on the 29th August, 2011 agreed without any amendment to the Indian Medical Council (Amendment) Bill, 2011 which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 18th August, 2011."

(ii) 'I am directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha at its sitting held on Tuesday, the 16th August, 2011 adopted the following Motion in regard to the Committee on Public Accounts :-

"That this House concurs in the recommendation of the Lok Sabha that the Rajya Sabha do agree to nominate one Member from Rajya Sabha, to associate with the Committee on Public Accounts of the Lok Sabha for the unexpired portion of the term of the Committee *vice* Shrimati Jayanthi Natarajan, appointed as Minister, and do proceed to elect, in such manner as the Chairman may direct, one Member from amongst the Members of the House to serve on the said Committee."

2. I am further to inform the Lok Sabha that in pursuance of the above Motion, Shri Jesudasu Seelam, Member, Rajya Sabha has been duly elected to the said Committee.'

12.02¼ hrs.

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS
21st Report

SHRI VIJAY BAHADUR SINGH (HAMIRPUR, U.P.): Sir, I beg to present the Twenty-first Report (Hindi and English versions) of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions.

12.02½ hrs.

RAILWAY CONVENTION COMMITTEE
2nd Report

डॉ. बलीराम (लालगंज): उपाध्यक्ष महोदय, मैं 'वर्ष 2011-12 के लिए लाभांश की दर तथा अन्य आनुषंगिक मामले' के बारे में रेल अभिसमय समिति (2009) का दूसरा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

12.02¾ hrs.

JOINT COMMITTEE ON OFFICE OF PROFIT
2nd to 4th Reports

श्री रेवती रमण सिंह (इलाहाबाद): उपाध्यक्ष महोदय, मैं लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति का दूसरा, तीसरा और तौथा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

12.03 hrs.

COMMITTEE ON GOVERNMENT ASSURANCES
15th to 18th Reports

DR. KAKOLI GHOSH DASTIDAR (BARASAT): Sir, I beg to present the following Reports (Hindi and English versions):-

(1) Fifteenth Report on pending assurances pertaining to Ministry of Civil Aviation.

(2) Sixteenth and Seventeenth Reports on requests for dropping of assurances.

(3) Eighteenth Report on pending assurances pertaining to Ministry of Road Transport and Highways.

12.03½ hrs.

STANDING COMMITTEE ON AGRICULTURE
26th Repoprt

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं 'अजैवीय दबाव प्रतिरोधी फसल किस्मों का विकास तथा उत्पादन संवर्धन प्रौद्योगिकियों का प्रसार - देश में अनुसंधान और विकास तथा विस्तार संबंधी प्रयासों की समीक्षा' के बारे में कृषि संबंधी समिति का 26वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

12.03¾ hrs.

STANDING COMMITTEE ON ENERGY
20th Report

श्री मुलायम सिंह यादव (मैनपुरी): उपाध्यक्ष महोदय, मैं 'विद्युत परियोजनाओं का वित्त पोषण' के बारे में 9वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के संबंध में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति (2010-11) का 20वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

12.04 hrs.

STANDING COMMITTEE ON FINANCE
39th and 40th Reports

SHRI YASHWANT SINHA (HAZARIBAGH): I beg to present the following Reports (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Finance (2010 – 11):-

(1) Thirty-ninth Report on the Regulation of Factor (Assignment of Receivables) Bill, 2011.

(2) Fortieth Report on the Pension Fund Regulatory and Development Authority Bill, 2011.

12.04½ hrs.

STANDING COMMITTEE ON LABOUR
18th to 20th Reports

SHRI HEMANAND BISWAL (SUNDARGARH): I beg to present the following Reports (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Labour:-

(1) Eighteenth Report on Directorate General of Employment and Training – A review' of the Ministry of Labour and Employment.

(2) Nineteenth Report on Demands for Grants for the year 2011-12 of the Ministry of Labour and Employment.

(3) Twentieth Report on Demands for Grants for the year 2011-12 of the Ministry of Textiles.

12.04¾ hrs.

STANDING COMMITTEE ON RAILWAYS
12th Report

SHRI T.R. BAALU (SRIPERUMBUDUR): I beg to present the Twelfth Report (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Railways on 'New Railway Recruitment Policy'.

12.05 hrs.

STANDING COMMITTEE ON WATER RESOURCES
9th and 10th Reports

SHRI DIP GOGOI (KALIABOR): I beg to present the following Reports (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Water Resources (2010-2011):-

(1) Ninth Report on Action Taken by the Government on the Observations/Recommendations contained in the Fourth Report (15th Lok Sabha) on "Working of Brahmaputra Board".

(2) Tenth Report on "Augmentation of Depleted Ground Water level, Sustainable Development, Conservation, Management, Use of Ground Water and Prevention of Water Pollution".

12.05 hrs.

STANDING COMMITTEE ON PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES, LAW AND JUSTICE
47th Report

SHRIMATI DEEPA DASMUNSI (RAIGANJ): I beg to lay the Forty-seventh Report (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Personnel, Public Grievances, Law & Justice on the Judicial Standards and Accountability Bill, 2010.

12.06 hrs.

STATEMENTS BY MINISTERS

(i) Status of implementation of the recommendations contained in the 26th Report of the Standing Committee on Finance on Demands for Grants (2010-11), pertaining to the Department of Economic Affairs, Financial Services, Expenditure and Disinvestment, Ministry of Finance*

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI NAMO NARAIN MEENA): On behalf of Shri Pranab Mukherjee, I beg to lay the statement on the status of implementation of recommendations contained in the 26th Report of the Department of Economic Affairs, Financial Services, Expenditure and Disinvestment of the Standing Committee on Finance (15th Lok Sabha) in pursuance of Direction 73-A of the hon. Speaker, Lok Sabha *vide* Lok Sabha Bulletin, Part II dated 1st September 2004.

The 26th Report of the Standing Committee on Finance (15th Lok Sabha) was presented to the Lok Sabha on 10th December, 2010. The 26th report relates to examination of Demands for Grants (2010-11). In the Report, the Committee deliberated on various issues and made eight (8) recommendations, where action is called for on the part of the Government. These recommendations mainly pertain to the issues like continued under utilisation of budgetary provisions for assisting Public Private Partnership (PPP) infrastructure projects through Viability Gap Funding, Debt Management strategy, Extending outreach of Banking, Evaluation of Banking Correspondents (BC)/Banking Facilitators (BFs) model in extending banking services, shortfall in priority sector lending, mainly to agriculture and weaker sections. Reviewing the budgetary planning process with a view to building an effective deterrent mechanism so as to revent large scale surrenders every year. Establishment of a mechanism for collecting and maintaining information on surrenders/savings effected on account of economy measures as

---

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 5056/15/11

distinct from savings owing to non-implementation of schemes/programmes, for enabling effective expenditure management.

Action Taken Statements on the recommendations/observations contained in the Report had been sent to the Standing Committee on Finance on 13th May, 2011. Present status of implementation of the recommendations made by the Committee in the 26th Report is indicated in Annexure, which is laid on table of the House.

I would not like to take the valuable time of the House to read out the contents of the Annexure. I would request that these may be taken as read.

12.06½ hrs.

(ii) Status of implementation of the recommendations contained in the 8th and 19th Reports of the Standing Committee on Agriculture on Demands for Grants (2010-11), pertaining to the Department of Agricultural Research and Education, Ministry of Agriculture*

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE, MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI HARISH RAWAT): On behalf of Shri Sharad Pawar, I beg to lay the statement on the status of implementation of Observations / Recommendations contained in the (wherein Reply of the Government is given) and Nineteenth Report (wherein Further Reply of the Government is given) of Standing Committee on Agriculture in pursuance of the direction 73 A of the hon. Speaker, Lok Sabha, issued *vide* Lok Sabha Bulletin - Part-II dated September 01, 2004.

The Standing Committee on Agriculture has examined the Demands for Grants of the Ministry of Agriculture, Department of Agricultural Research and Education (DARE) for the year 2010-11 and presented their Eighth Report (wherein Reply of the Government is given) and Nineteenth Report (wherein Further Reply of the Government is given). The Department has furnished the Replies as well as Further Replies of the Government to all the Observations / Recommendations in the Action Taken Report.

All the Observations / Recommendations of the Committee have been considered. The details of Recommendations/ Comments of the Committee and Action taken by the Government alongwith present status, which have already been communicated to Parliamentary Committee, are given in the Annexure which is laid on the table of the House.

---

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 5057/15/11

12.07 hrs.

(iii) Status of implementation of the recommendations contained in the 6th and 8th Reports of the Standing Committee on Food, Consumer Affairs and Public Distribution, pertaining to the Department of Food and Public Distribution, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution*

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION (PROF. K.V. THOMAS): I beg to lay this statement, on the status of implementation of recommendations contained in Sixth and Eighth Reports of Standing Committee on Food, Consumer Affairs and Public Distribution, Department of Food and Public Distribution in pursuance of Rule 389 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Lok Sabha (Eleventh Edition, issued by the hon. Speaker, Lok Sabha *vide* Lok Sabha Bulletin-Part II, dated 1st September, 2004).

The statement indicating the action taken/status of ail the recommendations contained in respect of the above Reports of the Standing Committee on Food, Consumer Affairs and Public Distribution, Department of Food and Public Distribution is annexed separately. It may please be noted that the Sixth Report contained 11 recommendations out of which 09 recommendations have been accepted. The Eighth Report contained 15 recommendations out of which 12 recommendations have been accepted. These recommendations of the Committee have been examined carefully by the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution. The details of recommendations which have been accepted/partially accepted/not accepted are given as under :-

---

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 5058/15/11

Sixth Report

Total No. of Recommendations	Accepted	Partially Accepted / implemented	Not Accepted / not accepted for the time being	Under examination
11	09	2	-	-

Eighth Report

Total No. of Recommendations	Accepted	Partially Accepted / implemented	Not Accepted / not accepted for the time being	Under examination
15	12	2	-	1

The Committee was apprised of action taken on Sixth Report *vide* OM No. G-20017/10/2010-AC dated 9th November, 2010 and action taken on Eighth Report was also communicated to the Committee *vide* OM No. G-20017/9/2010-AC dated 19th November, 2010.

12.08 hrs.

MATTERS UNDER RULE 377 *

MR. DEPUTY-SPEAKER: Hon. Members, the Matters under Rule 377 shall be laid on the Table of the House. Hon. Members, who have been permitted to raise matters under Rule 377 today and are desirous of laying them, may personally hand over slips at the Table of the House within 20 minutes. Only those matters shall be treated as laid for which slips have been received at the Table within the stipulated time, and the rest will be treated as lapsed.

(i) Need to enhance the pension of workers engaged in Cotton mills and beedi industry in Tamil Nadu.

SHRI S.S. RAMASUBBU (TIRUNELVELI): In my Tirunelveli Lok Sabha Constituency a large number of spinning mills are functioning since long. Among them, co-operative Mill at Pettai, namely, Madura Coats Pvt. Ltd., at Vikramasingapuram is very prominent. A large number of people are employed there for the last 30 to 40 years. But they are not reasonably paid. Over a period of time, there was reduction in workforce in those units. Some of the workers/employees have opted for voluntary retirement and many of them were retrenched form service also. During their service period, they had contributed 8% of their monthly salary towards provident funds.

However, I am sorry to state that after relieving from their service they are getting very less/émigré monthly pension in the range of Rs. 250 to Rs 900. Likewise, thousands of beedi workers in my district who have worked many years are getting very meagre financial assistance, whereas the Government of Tamil Nadu is now paying Rs 1000 p.m. as pension to the old-aged people in the State. This paltry pension amount would not be sufficient to meet their both ends. In view of this, the cotton mill/beedi workers are consistently demanding that their

* Treated as laid on the Table

minimum pension be fixed at Rs. 3,000/- per month which would come as a relief to these economically weak people.

I, therefore, urge upon the Union Government to fix the minimum pension of all cotton mill/beedi workers of Tamil Nadu who are covered under EPF scheme at least Rs. 3,000 pm.

(ii) Need to make easy availability of Government medical facilities to the poor and formulate rules to regulate exorbitant medical bills of private hospitals in the country

श्री दत्ता मेघे (वर्धा): मैं सदन कोइस बात से अवगत कराना चाहता हूं कि देश में बीमारी का इलाज कराना प्रतिदिन महंगा होता जा रहा है। आज चिकित्सा सुविधा जनता की आर्थिक क्षमता से बाहर हो गई है। देश में प्राइवेट अस्पताल काफी संख्या में हैं। किन्तु इन अस्पतालों में इलाज करानेका मतलब है हमेशा के लिए कर्ज में डूब जाना। यह एक आम धारणा है कि यह अस्पताल पैसा कमाने का जरिया बन गये हैं।

सरकारी अस्पतालों की स्थिति सब जानते हैं। ग्रामीण रूग्णालयों का होना न होना बराबर है। सरकार लगातार नई नई योजनाएं बनाती है और विज्ञापनों पर करोड़ों का खर्च भी करती है लेकिन यह सारी योजनाएं गरीबों तक नहीं पहुंचती। इसी तरह सस्ती दवाईयों का वितरण भी अनियमितताओं में फंस गया है, कई सरकारी अस्पतालों में दवाईयों की कमी पायी गई है।

आज देश के सभी वर्गके लोग चिकित्सा सुविधा को लेकर असंतुष्ट हैं और प्राइवेट अस्पतालों के बिलों से भी परेशान हैं। सरकार का प्राइवेट अस्पतालों के बिलों पर कोई नियंत्रण नहीं है ना इनके हेतु कोइ नियम है।

मेरा सरकार से निवेदन है कि सरकारी स्वास्थ्य योजनायें गरीबों तक पहुंचाने के लिए सख्त कदम उठाये, और प्राइवेट अस्पतालों द्वारा वसूले जा रहे चिकित्सा बिल के नियंत्रण के लिए कोई नियम कानून बनाये।

(iii) Need to restore the previous syllabus of Teachers' Education in Uttar Pradesh

राजकुमारी रत्ना सिंह (प्रतापगढ़): नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन ने उत्तर प्रदेश के सभी विश्वविद्यालय के टीचर एजुकेशन के पाठ्यक्रम को बदल दिया है जिसके कारण टीचर शिक्षा पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। एक ओर तो इसकी किताबें नहीं मिल रही हैं और दूसरी ओर इन विषयों को बढ़ाने के लिए टीचरों का अभाव है क्योंकि टीचरों को नये पाठ्यक्रम का अध्ययन करनेके लिए संबंधित पाठ्यक्रम की कोई विषय सामग्री नहीं मिल रही है। हम निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा को लागू करना चाहते हैं लेकिन टीचर एजूकेशन में पाठ्यक्रम में बदलाव एवं परिणामतः उत्पन्न होने वाली समस्याओं से इस कानून को लागू करने में दिक्कत आ सकती है। इस काउंसिल ने पाठ्यक्रम को लागू करने में किसी के साथ कोईविचार नहीं किया है। जब भीकिसी पाठ्यक्रम को बदलना होतो उसके लिए कम से कम तीन साल का समय लगाना चाहिए जब तक इसके लिए संबंधित पुस्तकें उपलब्ध न हो जाए और पढ़ाने वाले टीचरों द्वारा इसका अध्ययन पूरी तरह से न कर लें। इस संबंध में हमने मानव संसाधन विकास मंत्रालय को पत्र लिखा है। सदन के माध्यम से अनुरोध है कि जब तक नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन द्वारा जो पाठ्यक्रम बदला है रद्द न हो जाये एवं जब तक इसकी पूरी किताबें और संबधित टीचर इसका पर्याप्त एवं संतुष्टिजनक अध्ययन न कर लें तब तक पुराने पाठ्यक्रम को लागू किया जाये जिससे हम योग्य टीचरों का सृजन कर सकें।

(iv) Need to take measures to stop influx of fake drugs into India

SHRI ANTO ANTONY (PATHANAMATHITTA): I request the Government to urgently take necessary measures to prevent the influx of fake drugs into India. As per reports, these fake drugs accounts for about 20-30 per cent of total medicine supply in the country. Packed with the made in India tag, these drugs are prescribed as remedies for a variety of diseases ranging from diabetic to cancer. However, these drugs create serious health problems as their side effects. It is alarming to know that these fake drugs are very difficult to identify even in the first and second stage of lab tests. Influx of fake drugs with made in India tag has become a major problem of our contemporary concern. These fake drugs have already captured pharmaceutical markets in Africa. Now, these drugs are flooding to India and causing serious health hazards in our country. I, therefore, request the Government to take urgent steps in this regard.

(v) Need to provide facility of interest refund to students who availed bank loan to study abroad

SHRI CHARLES DIAS (NOMINATED): It is reported that banks are now informing the students who availed educational loans to pursue their higher studies in foreign countries, that they are not eligible to get interest refund from Government for the loans availed by them. This is unjust as many courses are conducted in reputed universities and educational institutions in foreign countries. Naturally students prefer to go abroad to acquire qualifications from these institutions.

For many poor students, bank loan is the only support available to continue their higher education and denying interest refund from Government for the loans taken for their studies aboard is an injustice and discrimination shown to these students. When Government announced refund to interest for educational loans, many poor students are attracted to this help and opted to continue their studies abroad in reputed institutions. Where the courses of their options were available. Now, denying them the facility of interest refund, is a matter to be looked into and I urge the Government that interest refund be given to students who availed of educational loans from banks and necessary directions may be issued to the banks in this regare.

(vi) Need to supply adequate quantity of natural gas to industrial units in Agra, Uttar Pradesh

प्रो. रामशंकर (आगरा): माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार आगरा में ताजमहल, लाल किला एवं अन्य विश्व धरोहर स्मारकों को प्रदूषण से बचाने के लिए उद्योग धंधे पूरी तरह बंद कर दिये गये हैं। औद्योगिक विकास पूरी तरह से ठप्प है। कुछ उद्योग जो प्राकृतिक गैस से संचालित हैं वह भी पर्याप्त मात्रा में गैस नमिलने तथा मूल्य बढ़ने के कारण ठप्प जैसे पड़े हैं। मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि आगरा शहर में प्राकृतिक गैस की आपूर्ति बढ़ाई जाये एवं शहर में सी.एन.जी. पम्पोंकी संख्या भी बढ़ायी जाये। दूसरी ओर उद्योग धंधे बंद होने केकारण युवा, मजदूर, गरीब एवं कारीगर काम न मिलने से बेरोजगार हैं जिसके कारण भुखमेरी की स्थिति पैदा हो गयी है तथा वह आगरा से पलायन करने को मजदूर हैं। बेरोजगारी फैलने के कारण युवाओं में नशेखोरी की आदत भी बढ़ती जा रही है।

अतः मेरा अनुरोध है कि आगरा में प्राकृतिक गैस से चलने वाले उद्योगों को बढ़ावा दिया जाये तथा आगरा को विशेष औद्योगिक क्षेत्र घोषित किया जाए।

(vii) Need to sanction the proposal of Maharashtra Government for repair, renovation & restoration of Water Bodies in the State

SHRI HARIBHAU JAWALE (RAVER): The Department of Water Resources of Maharashtra Government had sent a proposal to the Ministry of Water Resources, Government of India for repair, renovation & restoration (RRR) of Water Bodies. In this proposal, Maharashtra Government had included works under RRR Scheme of 741 Water Bodies within the Maharashtra State amounting to Rs. 399.12 Crores. This proposal had been sanctioned by TAC of the Department of Water Resource of Government of Maharashtra and forwarded to Ministry of Water Resources, Government of India. Concerned Officers of Maharashtra State and Ministry of Water Resources, Government of India make follow-ups for releasing funds to this proposal. But till date the funds for this proposal has not been released. Queries raised in this regard by Ministry of Finance had been solved already by the concerned agencies. State Government and Ministry of Water Resources, Government of India has been repeatedly requesting to relevant officer of Ministry of Finance for releasing fund.

There is tremendous requirement of Renovation and Repairing of damaged Water bodies in Maharashtra State. In some Drought Prone areas, Damaged Water bodies are sole source of drinking water for villagers. Due to Damaged Water Bodies, storage of water which is the special purpose of scheme is not fulfilling. All the damaged water-bodies should be repaired and should be enabled to store water to overcome all water-related problems in the State.

Through this Hon'ble House, I request the Ministry for releasing funds for sanctioned proposal of the Department of Water Resources of Government of Maharashtra under the scheme of Repair, Renovation and Restoration of Water Bodies at the earliest.

(viii) Need to provide a goods yard at Modasa Railway Station in Sabarkantha Parliamentary Constituency, Gujarat

श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण (साबरकांठा): मेरा संसदीय क्षेत्र साबरकांठा (गुजरात), आदिवासी, दलित एवं आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों का क्षेत्र है। पूरा क्षेत्र कृषि व पशुपालन पर निर्भर है। अपने क्षेत्र में रेल सुविधा पर्याप्त न होने से पूरा क्षेत्र आज भी विकास से वंचित है।

मेरा संसदीय क्षेत्र 13 तहसीलों सहित 24 लाख से ज्यादा आबादी वाला बड़ा क्षेत्र है। लेकिन आज भी पूरे क्षेत्र में एक भी रेलवे गुड्स रेक प्वाइंट की सुविधा नहीं है। सीमेंट, स्टील एवं कृषिउपयोगी खाद (उर्वरक) इत्यादि दूर वाले क्षेत्रों से बायपास रोड, ट्रक, ट्रैक्टर इत्यादि निजी साधनों से लाना पड़ता है जो महंगा है तथा समय परपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं होते हैं। उर्वरकों की कम सप्लाई से कृषि विकास प्रभावित होता है।

मेरी मांग है कि हमारे क्षेत्र में मोडासा रेलवे स्टेशन जो ब्रॉडगेज सुविधा से जुड़ा हुआ है, सब डिवीजन सेंटर है। वहां पर रेक प्वाइंट की सुविधा उपलब्ध करायी जाये। लोगोंमें काफी निराशा एवं आक्रोश है जो जन आंदोलन का रूप धारण कर सकता है।

(ix) Need to increase the Minimum Support Price of paddy and wheat

श्री नीरज शेखर (बलिया): हमारे देश की लगभग 68 प्रतिशत आबादी आज भी कृषि कार्य में लगी है या कृषि पर आश्रित है। भारत में कृषि योग्य भूमि का औसत लगभग 57 प्रतिशत है, जबकि पूरी दुनिया में मात्र 11 प्रतिशत भूमि ही कृषि योग्य है। इतनी अच्छी कृषि भूमि के औसत और 75 करोड़ के भारी भरकम श्रम शक्ति के लगे होने के बावजूद भी हमारे देश में पिछले 10-11 सालों में 2 लाख से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है। इस साल बुंदेलखण्ड के 519 किसानों ने जनवरी से लेकर मई के बीच में आत्महत्या की है।

आज 70 प्रतिशत से ज्यादा किसान ऐसे हैं जिनकी प्रति व्यक्ति आय 500 रूपये मासिक से कम है। अर्थात् 76 प्रतिशत से ज्यादा किसान गरीबी रेखा से नीचे हैं।

देश में उदारीकरण उतनी के बाद अन्य तबकों की आय में जिस रफ्तार से वृद्धि हुई किसानों की आय उतनी नहीं बढ़ी। इन 20 सालों में साबुन से लेकर कृषि में प्रयुक्त डीजल और मजदूरी में पांच गुना से ज्यादा वृद्धि हुई है, परन्तु गेंहू और चावल जैसे अनाजों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में सिर्फ दो गुना से ढ़ाई गुना तक वृद्धि हुई। सरकार कभी 10 पैसे तो कभी 20 पैसे प्रति किलो की न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि करती है। इस साल कृषि मूल्य और लागत आयोग ने एक रूपये साठ पैसे प्रति किलो की वृद्धि की सिफारिश धान के समर्थन मूल्य के लिए की थी, परन्तु सरकार द्वारा मात्र 80 पैसे प्रति किलो की दर से वृद्धि की गयी है।

सरकार बेशक खाद्य सुरक्षा कानून पारित कर देश के गरीबों को 2 रूपये और 3 रूपये किलो के हिसाब से गेहूं और चावल उपलब्ध कराएं परन्तु देश के 75 से 80 करोड़ किसानों की दुर्दशा और गरीबी को ध्यान में रखते हुए सरकार किसानों के प्रति अपनी नीति में बदलाव करे और गेहूं और धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य कम से कम 25 रूपये प्रति किलो किया जाए, जिससे देश के किसान गरीबी और कर्ज के दुष्चक्र से निकल सकें और लाखों किसानों की आत्महत्या को रोका जा सके।

(x) Need for timely running of Vaishali Express

श्री रमाशंकर राजभर (सलेमपुर): वैशाली एक्सप्रेस ट्रेन डाऊन में बरौनी, गोरखपुर-लखनऊ विगत 6 माह से विलंब से चल रही है। गौरखपुर बरौनी मार्ग में वैशाली एक्सप्रेस देवरिया से गोरखपुर के मध्य 50 कि.मी. की दूरी 1.20 घंटे में अधिकतम तय करती है। क्योंकि गोरखपुर जंक्शन पर गोरखधाम 5 बजे प्लेटफार्म खाली करती है। गोरखपुर छावनी में वैशाली एक्सप्रेस प्लेटफार्म खाली होने का इंतजार 1 घंटा 40 मिनट तक करती है। वैशाली एक्सप्रेस के समय की इन विसंगति को दूर कर इसे समय से चलाये जाने हेतु शीघ्र कदम उठाए जाएं।

(xi) Need to run Rajdhani Express between Patna and Saharsa in Bihar

श्री विश्व मोहन कुमार (सुपौल): मैं माननीय रेल मंत्री जी का ध्यान जनहित की प्रमुख समस्या की ओर आकृष्ट करते हुए यह बताना चाहता हूं कि रेल बजट प्रस्तुत करते समय सदन में अपने बजटीय भाषण में पटना से सहरसा एवं सहरसा से पटना राजधानी एक्सप्रेस चलाने की घोषणा की थी, किन्तु अभी तक यह चालू नहीं की गयी है। इस रूट पर रात्रिकालीन ट्रेन नहीं होने से आम यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, यह जनहित की प्रमुख समस्या है।

अतः मंत्री जी से आग्रह है कि अतिशीघ्र राजधानी एक्सप्रेस को पटना से सहरसा एवंसहरसा से पटना रात्रिकालीन सेवा में चलवाने क निर्देश देने का कष्ट करें जिससे कि आम नागरिक को सहूलियत हो सके।

(xii) Need to allocate more funds for completion of gauge conversion work between Dindigul and Palakkad and Palani and Pollachi

SHRI K. SUGUMAR (POLLACHI): My Parliamentary Constituency Pollachi in Tamil Nadu is surrounded by famous hill stations like Valparai, Topsleep, Moonar, Thirumurthi Hills and Aliyar, Amaravathi, Parambikulam, Solayar dams which are the famous tourists places visited by tourists from all over the country. Train is their mode of transport to reach those places. The famous Masani Amman temple is situated in Anamalai near Pollachi. Thousands of people are visiting this famous temple from nearby Madurai city and adjacent state of Kerala. Based on the demands of tourists and the general public, the gauge conversion of nearly 120 kms between Dindigul and Palakad via Udumalpet and Pollachi has been ordered by the Ministry of Railways in the year 2008. The progress of the conversion work is very slow due to the shortage of funds. I also mention that the gauge conversion between Palani and Pollachi is very much affected due to the poor financial allocation. The general public and the tourists are facing problems to reach those famous places. I, on behalf of my constituency people and visiting tourists, urge upon the Government to direct the Ministry of Railways for allocation of more funds in order to complete the project without further delay.

(xiii) Need to undertake relief and rehabilitation measures for people affected due to flood in Bijnor Parliamentary Constituency, Uttar Pradesh

श्री संजय सिंह चौहान (बिजनौर): मेरे लोक सभा क्षेत्र बिजनौर के अन्तर्गत ग्राम कुंदनपुर, टीप, फतेहपुर, सीमली, मिर्जापुर, सीमलकलां, कोल्हपुर, देवलगढ़, राजरामपुर, गांवली में आयी बाढ़ की विभीषिका से लाखों नागरिक बेघर हो गये एवं जानमाल का काफी नुकसान हुआ है। केन्द्र सरकार से पुरजोर अपील है कि एक केन्द्रीय पर्यवेक्षक दल क्षेत्र में भेजकर वहां हुए नुकसान का आंकलन कराये ताकि वहां पुनर्वास का कार्य शुरू कराया जा सके।

(xiv) Need to provide adequate quantity of water at Indrapuri Barrage for Sone Canal in Bihar as per Ban Sagar Agreement

श्री जगदानंद सिंह (बक्सर): सोन नदी सब बेसिन का समझौता बिहार-उत्तर प्रदेश-मध्य प्रदेश के बीच जल के बंटवारे के लिए हुआ था। समझौते के वक्त जल की उपलब्धता 14 मिलियन एकड़ फुट आंकलित की गई थी। 14 मिलियन एकड़ फुट में से 5.75 मिलियन एकड़ फुट पानी इन्द्रपुरी बराज पर पुरानी सोन नहर प्रणाली के लिए सुरक्षित मानकर शेष पानी का बंटवारा तीनों राज्यों में आवश्यकता के आधार पर किया गया था।

समझौते के अनुसार 14 मिलियन एकड़ फुट की तय जल उपलब्धता में से किसी तरह की बढ़ोत्तरी एवं घटोत्तरी का प्रभाव सभी राज्यों पर बंटवारे के लिए तय अनुपात में ही प्रभावित होगा। मगर इन्द्रपुरी बराज पर पूर्व से उपयोगी जल 5.75 मिलियन एकड़ फीट पानी पर घटते जल उपलब्धता का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अर्थात् हर हालत में तय पानी 5.75 मिलियन एकड़ फीट इन्द्रपुरी बराज के लिए सुरक्षित रहेगा एवं बराज के ऊपरी भाग के राज्य 13 हजार क्यूसेक पानी के प्रवाह में कोई अवरोध पैदा नहीं करेंगे।

13 हजार क्यूसेक पानी में से पश्चिमी मुख्य नहर को 8.5 हजार क्यूसेक तथा पूर्वी नहर के 4.5 हजार क्यूसेक पानी हर हालत में मिलता रहेगा। 13 हजार क्यूसेक बराज के लिए सुरक्षित जल प्रवाह में अवरोध पैदा किया जा रहा है। गत् 6-7 वर्षो सेबराज पर जल प्रवाह 5 हजार क्यूसेक से भी कम तथा कभी-कभी दो हजार क्यूसेक पर उतर आता है।

बाण सागर जलाशय में बिहार की हिस्सेदारी एक मिलियन एकड़ फुट है तथा रिहन्द नदी का पानी शत-प्रतिशत बिहार के लिए आवंटित है। मगर दोनों जलाशयों के सुचारू रूप से संचालन न होने से इन्द्रपुरी बराज पर जल उपलब्धता तय सीमा से बहुत ही कम प्राप्त होनेसे पूरी सोन-नअर प्रणाली प्रभावित हो रही है।

सोन नदी कमीशान की जिम्मेदारी है कि बाण सागर समझौते को उचित परिप्रेक्ष्य में लागू कराये तथा सोन नहर प्रणाली के लिए तय जल कीमात्रा तथा तय प्रवाह के बनाए रखने की अनिवार्य शर्त को प्रभावित न होने दे।

बिहार राज्य में खाद्यान्न उत्पादन के मुख्य सोन कमांड के इलाके में पानी की कमी ने भयानक परिस्थिति पैदा कर दी है। बाण सागर समझौते के क्रियान्वयन हेतु केन्द्रीय सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ताकि इन्द्रपुरी बराज पर जल उपलब्धता में कोई व्यवधान पैदा न हो।

उपाध्यक्ष महोदय : राजाराम पाल जी, आप ज्यादा लंबा न बोलकर दो मिनट में अपनी बात खत्म कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री राजाराम पाल (अकबरपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने हमें अत्यंत अविलम्बनीय और लोक महत्व के प्रश्न पर बोलने का मौका दिया है। आज पूरा देश भ्रष्टाचार से चिंतित है। केवल अन्ना जी ही अकेले चिंतित नहीं हैं, समूचा देश चिंतित है।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप संक्षेप में बोलिये।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : राजाराम पाल जी, आप अपने विषय पर बोलिये।

...(व्यवधान)

श्री राजाराम पाल : समूचा सदन चिंतित है। लेकिन जन लोकपाल बिल की आड़ में जिस तरह से उस मंच पर सांसदों का अपमान किया गया, उससे कोई अछूता नहीं है। ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपने विषय पर बोलिये।

...(व्यवधान)

श्री राजाराम पाल : मान्यवर, जिस दिन से आंदोलन शुरू हुआ, उस दिन से लगातार कुछ अराजक तत्व, जो गुंडा किस्म के थे, उन्होंने मेरे घर में तख्त डालकर चौदह दिन तक अनशन करने का काम किया। उसकी आड़ में हमारे विरोधी, जो हमसे चुनाव हारे हैं, वे हमसे जैलेसी रखते हैं। उन्होंने जत्थे बना-बनाकर दिन में तीन-तीन, चार-चार बार मेरे घर का घेराव करने का प्रयास किया। मैंने कानपुर के आईजी, डीआईजी, सीओ और डीएम से अपने परिवार की जानमाल की सुरक्षा की मांग की, लेकिन वे सारे लोग जो नारा लगा रहे थे, वह सही साबित हो रहा था कि यह अंदर की बात है, पुलिस हमारे साथ है। मेरे लाख कहने के बाद भी पुलिस ने हमारे यहां सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं किया। मैंने इस सदन में पिछले सत्र में भी यह बात उठाई थी कि मेरी जान का गंभीर खतर है। मैंने गृहमंत्री जी को लिखा और माननीय स्पीकर महोदया को भी इस बारे में लिखा। आईबी की रिपोर्ट यह बताती है कि राजाराम पाल के जीवन को गंभीर खतरा है, लेकिन माननीय गृहमंत्री जी को उसकी कोई चिंता नहीं है। मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूं कि 24 तारीख को जिस तरह से मेरे घर में तोड़ फोड़ की गयी, मेरे परिवार के साथ मार-पीट की गयी...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आपको केन्द्र सरकार से क्या चाहिए, वह बोलिए।

श्री राजाराम पाल : उत्तर प्रदेश सरकार यह कहती है कि ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आपको भारत सरकार से क्या चाहिए, वह बोलिए।

श्री राजाराम पाल : उत्तर प्रदेश सरकार यह कहती है कि राजाराम पाल के जीवन को कोई भय नहीं है। जब मैं बसपा में था।...(व्यवधान) वहां सत्ता पक्ष के लोगों को छोड़कर किसी के जीवन को भय नहीं है। मेरी किसी भी समय हत्या हो सकती है।...(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): यह केन्द्र सरकार से संबंधित विषय नहीं है।...(व्यवधान)

श्री राजाराम पाल : मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अब आगे आपकी कोई भी बात रिकॉर्ड में नहीं जाएगी।

...(व्यवधान) *

उपाध्यक्ष महोदय : श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी ।

...(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): महोदय, मैंने भी नोटिस दी है।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आपको जीरो ऑवर में बोलने का मौका देंगे।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : बाद में जीरो ऑवर में करेंगे।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी ।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप लोगों को भी बोलने का मौका दिया जाएगा। आपको भी बुलाएंगे। अभी बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र कुमार : हमने एडजर्नमेंट मोशन दिया है, इसलिए अभी बोलेंगे। जीरो ऑवर में नहीं बोलेंगे।...(व्यवधान)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर): उपाध्यक्ष जी, मैं एक गंभीर विषय आपके सामने रखने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं आपका आभारी हूं कि आपने इसके लिए अनुमति दी है।

---

* Not recorded

मैं मानता हूं कि उच्चतम न्यायालय के जो ऐतिहासिक निर्णय हैं, उनमें से एक निर्णय है, जिसे केशवानंद भारती निर्णय के नाम से जाना जाता है, जिसमें भारतीय संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का वर्णन है कि संविधान के कौन-कौन से ऐसे तत्व हैं जिनके बारे में हर सरकार को, चाहे वह केन्द्र की हो या राज्य की हो, उसका आदर करना चाहिए, उसकी चिंता करनी चाहिए, उसको अक्षुण्ण बनाए रखना चाहिए। मैं मानता हूं कि भारत का संघात्मक ढांचा, फेडरलिज्म उस बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा माना गया है। पिछले दिनों में, मैं जिस प्रदेश का प्रतिनिधि लोक सभा में हूं, उस पर लगातार जिस प्रकार के प्रहार हो रहे हैं, हमले हो रहे हैं उसके संघात्मक ढांचे पर, उसका मुझे बहुत खेद है। इन दिनों में जब केन्द्र में भी पिछले दो सप्ताह या तीन सप्ताह से लगातार भ्रष्टाचार को रोकने के लिए लोकपाल, लोकायुक्त आदि संस्थानों की चर्चा होती रही है, उस समय गुजरात से यह खबर मिलना कि...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : उनको बोलने दीजिए। आप लोगों को भी बोलने का मौका मिलेगा।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आपको भी मौका मिलेगा। बाद में बोलिए, आपको मौका मिलेगा।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अन्य किसी की बात रिकॉर्ड में नहीं जाएगी।

...(व्यवधान) *

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया आप लोग बैठ जाइए। आपको बोलने का मौका मिलेगा। बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया शांत रहें।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मुझे आश्चर्य नहीं कि मेरे साथियों ने आज प्रातःकाल इस बात पर आपका और सारे सदन का ध्यान दिलाने के लिए प्रश्न काल स्थगित करने का प्रस्ताव दिया था। यह कोई साधारण बात नहीं है। हम तो बार-बार कहते हैं...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया शांत रहें।

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद पूर्व): अगर ये हमारे नेता को नहीं बोलने दे रहे, तो हम भी इनके नेता नहीं बोलने देंगे।...(व्यवधान)

---

* Not recorded

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया सब शांत हो जाएं। सिर्फ आडवाणी जी का ही रिकार्ड में जाएगा, और किसी का रिकार्ड में नहीं जाएगा।

...(व्यवधान) *

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर): गुजरात ऐसा प्रदेश है, जहां पर लोकायुक्त के नाम से गुजरात लोकायुक्त एक्ट बना हुआ है और वह 1986 में बना था। उस गुजरात लोकायुक्त एक्ट के अनुसार लोकायुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया उसमें है कि कार्यपालिका का कार्य होगा कि वह लोकायुक्त की नियुक्ति करे, लेकिन चीफ जस्टिस से और विपक्ष के नेता से सलाह करके। यह क्रम 1986 के बाद से लेकर होता रहा है। अभी जो वहां के मुख्य मंत्री हैं, उन्होंने भी इस एक्ट के अनुसार...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: आप लोग शांत रहें और बैठे-बैठ न बोलें।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया सुन लीजिए, सुनने में कोई कठिनाई नहीं है। आपको जब मौका मिलेगा, तब आप अपनी बात कहना।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : अपने कर्त्तव्य का पालन करते हुए वहां के मुख्य मंत्री ने तत्कालीन राज्यपाल से सलाह करके, विपक्ष के नेता से सलाह करके एक नाम तय किया। उस नाम के बारे में, क्योंकि वह रिटायर्ड जज थे, रिटायर्ड जज होने के कारण उनकी कहीं और नियुक्ति हो गई, समय लग गया था सारी प्रक्रिया में।...(व्यवधान)

...(व्यवधान) *

उपाध्यक्ष महोदय: चुपचाप बैठकर सुनें और बैठे-बैठे न बोलें। जब आपको मौका मिलेगा, तब आप बोलना।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मुख्य मंत्री ने अपने काम को 2006 में पूरा किया, कंसलटेशन भी पूरी कर ली, लेकिन नियुक्ति 2009 तक अटकी रही कई कारणों से। मैं उन कारणों में विस्तार से नहीं जाना चाहता, विस्तार से मैं जा सकता हूं, लेकिन इतना ही कहना चाहता हूं कि जब 2009 में उन्हें यह बताया गया कि उस व्यक्ति को ह्यूमन राइट्स कमीशन का अध्यक्ष बनाया गया है इसलिए उनकी इसमें नियुक्ति नहीं हो सकती, तो फिर से प्रक्रिया शुरू की गई। उस प्रक्रिया में दिक्कत यह हुई कि कई ऐसी बैठकें हुईं, जिनमें विपक्ष के नेता आए भी नहीं...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया शांत रहें।

---

* Not recorded

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : लेकिन विपक्ष के नेता कई बैठकों में न भी आए, तो भी मुख्य मंत्री ने मुख्य न्यायाधीश को लिखा कि आप मुझे कुछ नाम सुझाएं, जिनमें से मैं सलेक्ट कर सकूं और विपक्ष के नेता से भी सलाह करूंगा। उन्होंने चार नामों का पैनल भेजा, जिसमें एक भूतपूर्व न्यायाधीश का निर्णय करके, फिर विपक्ष के नेता से सलाह करनी चाही, लेकिन उनका सहयोग नहीं मिला। फिर भी उन्होंने अपने काम को किया।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया शांत रहें। बाद में बोलना है या नहीं, या अभी खत्म करना है।

...(व्यवधान)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : सभापति जी, मैं बात लम्बी न करके केवल यह कहूंगा कि हिंदुस्तान के इतिहास में, किसी प्रदेश में ऐसा नहीं हुआ कि मुख्यमंत्री से सलाह किये बिना कोई राज्यपाल लोकायुक्त की नियुक्ति कर दे। अभी-अभी यह नियुक्ति कर दी गयी। वह व्यक्ति कौन है, उसके क्या क्रीडेंशियल्स हैं, क्या बैक-ग्राउंड है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। मैं राज्यपाल के बारे में भी कुछ नहीं कहूंगा सिवाए इसके कि संविधान का प्रावधान है कि राज्यपाल कोई काम लोकायुक्त की नियुक्ति का करेगा तो he will do it on the aid and advice of the Council of Ministers. उस प्रावधान का यह सीधा वायलेशन है। उसके सीधा उल्लंघन करने के बाद हमें यह अधिकार है कि हम सदन में यह मामला उठाएं। साधारणतः किसी राज्यपाल के बारे में यहां विषय नहीं उठाया जाता है लेकिन अगर संविधान का उल्लंघन हो तो सदन को पूरा अधिकार है उसका नोटिक लेना और न केवल नोटिस लेना बल्कि हम तो सोच रहे हैं कि हम माननीया राष्ट्रपति जी के पास जाकर कहेंगे कि राज्यपाल को वापिस बुलाया जाए। ...(व्यवधान) लोकायुक्त और लोकपाल ऐसे पद हैं जिन पर बैठने वाला व्यक्ति निष्पक्ष होना चाहिए। मैं उस बात में नहीं जाता कि किस प्रकार के व्यक्ति को नियुक्त किया गया है, लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि गुजरात के संघात्मक ढांचे के बारे में यह पहला प्रहार नहीं है बल्कि लगातार प्रहार होते रहे हैं। मुझे अवसर मिला है और मैंने सदन के नेता को भी कहा है...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप कृपया शांत रहें, पीछे बैठे-बैठे न बोलें।...(व्यवधान)

श्री हरिन पाठक : हम भी आपको बोलने नहीं देंगे।...(व्यवधान)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : उपाध्यक्ष जी, मुझे खुशी है कि सदन के नेता भी यहां पर हैं। अनेक बार यह हुआ है कि सदन के नेता विपक्ष से सलाह करते हैं और सलाह करके कई मामलों में सहयोग भी चाहते हैं। मैंने हमेशा उन्हें कहा है कि कम से कम मैं जिस प्रदेश का प्रतिनिधि हूं, उस प्रदेश पर जिस प्रकार का रवैया केन्द्रीय सरकार का बना हुआ है, जिसका एक नया उदाहरण लोकायुक्त का मामला है। इस मामले

की ओर भी मैंने उनका ध्यान दिलाया है। मैं चाहूंगा कि जब तक संघात्मक ढांचे का आदर केन्द्रीय सरकार की ओर से नहीं होगा, तब तक प्रमुख विरोधी दल से और कई मामलों में सहयोग की अपेक्षा करना बेमानी है। हमें सहयोग करने में दिक्कत होती है, हमारे सभी लोग कहते हैं कि हमारे साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है, उसके बाद भी आप सहयोग करते हैं, यह क्या उचित है? मैं चाहूंगा कि इस मामले को केवल लोकायुक्त तक सीमित न रखें। कुल मिला करके हिंदुस्तान के सभी राज्यों का पूरा आदर और सम्मान होना चाहिए और मैं अपेक्षा करता हूं कि लोकायुक्त की नियुक्ति के संदर्भ में भी केन्द्रीय सरकार इस रवैये को स्वीकार करेगी।

श्री जगदीश ठाकोर (पाटन): उपाध्यक्ष जी, एक महत्वपूर्ण विषय पर बोलने के लिए मुझे आपके अनुमति मिली है। मैं आपका आभारी हूं। ...(व्यवधान) गुजरात में हरिन पंड्या की हत्या हुई है। वह हत्या कराने वाले कौन थे, यह भली-भांति गुजरात सरकार जानती है।...(व्यवधान) हरिन पंड्या की पत्नी जागृति बहन ने सिफारिश की है कि सीबीआई से इंक्वायरी कराओ। ...(व्यवधान)सीबीआई की इंक्वायरी करने वाले लोगों से ...(व्यवधान)गुजरात के लोग सवाल पूछते हैं कि सोहराबुद्दीन को क्यों मार दिया गया, तुलसी को क्यों मार दिया गया। ...(व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल : उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने कहा था कि आडवाणी जी को पहले अपनी बात कहने दें।...(व्यवधान) अब आडवाणी जी ने अपनी बात कह दी है, लेकिन ये माननीय सदस्य को अपनी बात कहने नहीं दे रहे हैं।...(व्यवधान) महोदय, जब कोई माननीय सदस्य बोल रहा हो और उनके बीच में कोई अन्य सदस्य बोले, इसका मतलब वे माननीय सदस्य को नहीं बोलने देना चाहते हैं।...(व्यवधान)

श्री जगदीश ठाकोर : महोदय, हरेन पंड्या पर सात गोली फायरिंग हुई, लेकिन जिस कार में लाश मिली, वहां से खून नहीं मिला और पांच गोलियां मिलीं। बारह गुनाहगार थे और सभी को हाई कोर्ट ने कल बरी कर दिया।...(व्यवधान) हाई कोर्ट में धारा 302 को साबित नहीं कर पाए।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री जगदीश ठाकोर : महोदय, हरेन पंड्या की पत्नी जागृति बहन कह रही हैं कि मुझे न्याय व्यवस्था पर आज भी विश्वास है।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप लोग बैठ जाएं और माननीय सदस्य को अपनी बात कहने दें।

...(व्यवधान)

श्री जगदीश ठाकोर : वे कह रही हैं कि मुझे पहले दिन से विश्वास था कि उनके पति के असली हत्यारे पकड़े नहीं गए, उनकी तलाश की जाए।...(व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल : उपाध्यक्ष महोदय, रूल के मुताबिक आडवाणी जी नहीं बोल सकते थे।...(व्यवधान) लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी बात कही और हम लोगों ने उनकी बात सुनी।...(व्यवधान)

श्री जगदीश ठाकोर : उस दिन हरेन पंड्या ने जो जूते पहने थे, वे भी पोस्टमार्टम के समय गायब हो गए।...(व्यवधान) उनकी फोन काल में मिस्ड काल की डिटेल आज तक नहीं मिली है।...(व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: The House stands adjourned to meet again at 2 p.m.

12.28 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Fourteen of the Clock.

14.00 hrs.

The Lok Sabha re-assembled at Fourteen of the Clock.

(Mr. Deputy-Speaker *in the Chair*)

उपाध्यक्ष महोदय : आइटम नंबर 26, श्री वीरेन्द्र कश्यप बोलिए।

...(व्यवधान)

श्री शरद यादव (मधेपुरा): उपाध्यक्ष जी, जो हालात हैं और जो गवर्नर की संस्था है, जहां जहां देश में विरोधी दलों की सरकारें हैं, ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : एक बार इस विषय में पहले बोला जा चुका है।

...(व्यवधान)

श्री शरद यादव : मैं तो अभी आया हूं।...(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): उपाध्यक्ष महोदय, इस पर पहले भी बोला जा चुका है। ...(व्यवधान) इस पर बोलने के बाद हाउस में शोर भी हो गया है।...(व्यवधान) उनके बोलने के बाद जब आडवाणी साहब ने यहां बोला और उसके बाद हाउस में जो शोर इन्होंने किया, उसके बावजूद...(व्यवधान) उसके बाद बात खत्म हो गई है। सरकार की तरफ से मैं यह कह देना चाहता हूं कि केन्द्र की सरकार किसी बात में जो हमारा फैडरल स्ट्रक्चर है, उसमें किसी ढंग का उस पर वॉयलेशन नहीं होता।...(व्यवधान)

श्री शरद यादव : उपाध्यक्ष जी, जो अभी चाहे कर्नाटक का मामला हो और चाहे अभी गवर्नर ने जो अभी लोकायुक्त बनाने का काम किया है, हिन्दुस्तान के संविधान में यहां भी और देश की राज्य सरकारों में यानी सरकार की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है, उसकी सलाह पर ही गवर्नर चलेगा।...(व्यवधान) बिहार में भी इसी तरह से अपाइंटमेंट कर दी गई हैं। सरकार से कोई बात नहीं की गई।...(व्यवधान) यानी अभी गुजरात में गवर्नर जो हैं, वे कैसे लोकायुक्त नियुक्त कर सकते हैं?...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :आपने अपनी बात रख दी है, अब आप बैठ जाइए। आपकी बात हो गई।

...(व्यवधान)

श्री शरद यादव : उपाध्यक्ष जी, जो हालात हैं, जो हिन्दुस्तान का फैडरल स्ट्रक्चर है, उस पर सरकार की तरफ से लगातार हमला होता रहता है।...(व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल : उपाध्यक्ष जी, केन्द्र की तरफ से कोई हमला किसी पर नहीं हो रहा है।...(व्यवधान) यह इल्जाम आपका सरासर गलत है।...(व्यवधान)

जो बात आप कर रहे हैं, ...(व्यवधान) यह प्रण कर लिया है कि संसद को चलने ही नहीं देंगे। ...(व्यवधान)

श्री शरद यादव : इस पर बहस होनी चाहिए। ...(व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल: आपने प्रण ले लिया है कि पार्लियामेंट को चलने ही नहीं देना है।...(व्यवधान) यह परसों भी हुआ था।...(व्यवधान) पार्लियामेंट को चलने ही नहीं देना।...(व्यवधान) अगर किसी दिन पार्लियामेंट में शांति रहे तो इन्हें लगता है कि शांति क्यों है?...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप हाउस चलने दीजिए।

श्री वीरेंद्र कश्यप।

...(व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल: विधेयक आपके सामने है, कृपया आप विधेयक पर चर्चा होने दीजिए।...(व्यवधान) शरद यादव जी, सुबह इस बात पर बहुत कुछ हो गया। चार घंटे लगाए हुए हैं।...(व्यवधान) जो विधेयक कार्य सूची में लगा है उस पर चर्चा होनी चाहिए।...(व्यवधान) विधेयक आपके सामने है, उस पर चर्चा होनी चाहिए।...(व्यवधान) यही पहले करते हैं कि अपोजिशन के नेता ...(व्यवधान) पहले शोर करना है फिर हाउस चलने नहीं देना। ...(व्यवधान) आप यही बात करते हैं। सुबह भी यही किया है।...(व्यवधान) और क्या किया है?...(व्यवधान) इस ढंग से नहीं होना चाहिए। मर्यादा होती है, रूल्स होते हैं, आपस में बात होती है, कोई चीज़ कम्पलाई करनी होती है।...(व्यवधान) यहां बिल्कुल उसके विपरीत है, शोर के अलावा कोई काम नहीं रहा है। ...(व्यवधान) मैं एक-एक से बात नहीं कर सकता।...(व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: The House stands adjourned to meet again at 3 p.m.

14.05 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Fifteen of the Clock.

15.00 hrs.

The Lok Sabha re-assembled at Fifteen of the Clock

(Shri Satpal Maharaj *in the Chair*)

सभापति महोदय : आइटम नम्बर 26, श्री वीरेन्द्र कश्यप जी आप बोलिये।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : रिकार्ड में कुछ नहीं जायेगा। सिर्फ वीरेन्द्र कश्यप जी की बात रिकार्ड में जायेगी।

...(व्यवधान) *

सभापति महोदय : आप बैठिये। हर चीज का समय होता है। हमने आपकी पार्टी से श्री आडवाणी जी को बुलवा दिया, अब आप बैठिये।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : यह बहुत महत्वपूर्ण बिल है, यह पास होना चाहिए। हमने आपकी तरफ से श्री आडवाणी जी को बुलवा दिया। अभी आप बैठिये।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : रिकार्ड में कुछ नहीं जायेगा। कश्यप जी, आप बोलिये।

...(व्यवधान) *

श्री वीरेन्द्र कश्यप (शिमला): सर, हाउस ऑर्डर में हो तो मैं बोलूं।...(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप बैठिये, आप ही की पार्टी के सांसद बोल रहे हैं।

...(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र कश्यप : यदि हाउस ऑर्डर में आये तो मैं बोलूं।...(व्यवधान)

भापति महोदय : आप बैठिये। हमने इस पर श्री आडवाणी जी को बुलवा लिया है।

...(व्यवधान)

* Not recorded

MR. CHAIRMAN: The House stands adjourned to meet on Friday, the 2nd September, 2011 at 11.00 am.

15.02 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Friday, September 2, 2011/Bhadra 11, 1933 (Saka).